

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

"कार्यालय आदेश"

इस कार्यालय के आदेश संख्या 1882/स्थानोंका/वार्षिकोंप्रथमों/2024-25 दिनांक 31 जुलाई, 2024 के द्वारा अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरणों के क्रमांक-10 पर अंकित डार्विनय कुमार, पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय मंगलौर, हरिद्वार का स्थानान्तरण पशुचिकित्सालय, सरोड़ा-मरोड़ा, जनपद पौड़ी में किये जाने के फलस्वरूप डार्विनय कुमार ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2024 के मध्यम से अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपना स्थानान्तरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः डार्विनय कुमार, पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय मंगलौर, हरिद्वार के उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त इस कार्यालय के उक्त आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2024 के द्वारा डार्विनय कुमार, पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय मंगलौर, हरिद्वार का पशुचिकित्सालय सरोड़ा-मरोड़ा, जनपद पौड़ी में किया गया स्थानान्तरण एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा डार्विनय कुमार को आदेशित किया जाता है कि पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय मंगलौर, जनपद हरिद्वार के कार्यों का सम्पादन करना सुनिश्चित करें।

(डा०नीरज सिंघल)
निदेशक।

संख्या २५३५ /स्थानोंका/वार्षिकोंप्रथमों/2024-25

दिनांक ३) अगस्त, 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वरिष्ठ निजी सचिव, मार्मन्त्री जी, पशुपालन उत्तराखण्ड सरकार को मार्मन्त्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
- सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(डा०नीरज सिंघल)
निदेशक।